राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर

क्रमांक : परीक्षा 4–अ / परीक्षा–2025 / 3800 दिनांकः 10.3.25

स्नातक परीक्षा–2025 के प्रवेश–पत्र संबंधी सूचना

विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं स्नातक प्रथम वर्ष (बकाया प्रश्न पत्र), द्वितीय (पूर्व छात्र) व तृतीय वर्ष के समस्त नियमित, पूर्व छात्र एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी वर्ष 2025 की वार्षिक परीक्षायें बुधवार, दिनांक 19 मार्च, 2025 से प्रारम्भ हो रही हैं। परीक्षार्थी उक्त परीक्षाओं के प्रवेश पत्र वेबसाईट www.univraj.org से दिनांक 14.03.2025 से डाउनलोड कर सकेगें। प्रवेश पत्र की एक प्रति परीक्षा केन्द्र पर जमा करवानी होगी। परीक्षार्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अपने परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा हेतु उपस्थित होवें।

परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र महाविद्यालय पोर्टल पर सत्यापित होने पर यूजर आई.डी. व पासवर्ड के द्वारा वेबसाईट www.univraj.org से दो प्रतियों में डाउनलोड़ करने होगें। अन्य किसी माध्यम से प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किये जायेगें। दोनों प्रवेश पत्रों में निर्धारित स्थान पर परीक्षार्थी का फोटो उपलब्ध होना अनिवार्य है। फोटो न होने के स्थिति में अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो प्रवेश पत्र पर लगाकर संबंधित प्राचार्य से प्रमाणित करवाकर ही परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित हों।

डाउनलोड किये गये प्रवेश पत्र में परीक्षार्थी का व्यक्तिगत विवरण यथा– नाम, पिता का नाम, माता का नाम, परीक्षा का माध्यम इत्यादि का मिलान बोर्ड / विश्वविद्यालय के रिकार्ड के अनुसार आवश्यक रूप से करें। साथ ही परीक्षा में सम्मिलित होने की योग्यता एवं विषयों के चयन में किसी भी प्रकार की त्रुटि पायी जावे तो उसे सही करवाने हेतु नियमित परीक्षार्थी अपने महाविद्यालय से प्रार्थना पत्र अग्रेषित करवाकर तथा स्वयंपाठी परीक्षार्थी आवेदन पत्र के साथ, परीक्षा प्रारम्भ की तिथि से तीन दिवस पूर्व तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में निम्नानुसार सम्पर्क करें:

1.	नामांकन आवेदन पत्र	कमरा नं. 118
2.	स्नातक कला संकाय	कमरा नं. 128
3.	स्नातक वाणिज्य संकाय	कमरा नं. 115
4.	स्नातक विज्ञान संकाय	कमरा नं. 137

आवश्यक निर्देश

1. प्राचार्य, अपने महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित परीक्षार्थियों में से जिनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है की सूची रोल नम्बर सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु केन्द्राधीक्षक को भेजें जहॉं उनकी परीक्षा आयोजित होगी। साथ ही उसकी एक प्रति विश्वविद्यालय के संबंधित अनुभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
2. प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने पर परीक्षार्थी परीक्षा आवेदन की प्रति महाविद्यालय से अग्रेषित करवाकर एवं पूर्व में दी गयी सभी परीक्षाओं की अंकतालिकाओं की प्रतियों सहित विश्वविद्यालय में परीक्षा अनुभाग की संबंधित खिड़की पर सम्पर्क करें।
3. जिन परीक्षार्थियों ने अधिनियम–153–बी (तीन साल का अन्तराल) के तहत गलत परीक्षा फॉर्म भरे हैं उनके प्रवेश पत्र वेबसाईट पर निचली कक्षा के उपलब्ध होंगे। वर्ष 2020 में प्रथम वर्ष के प्रोन्नत परीक्षार्थियों के द्वितीय वर्ष में अनुतीर्ण होने पर परीक्षार्थियों को सेमेस्टर स्कीम (एन.ई.पी.) में स्वयंपाठी के रूप में प्रथम वर्ष में सम्मिलित होगें।
4. परीक्षार्थी परीक्षा संबंधी आगामी सूचनाओं के लिए वेबसाईट www.univraj.org एवं www.uniraj.ac.in का नियमित अवलोकन करते रहें।
5. प्रायोगिक परीक्षाओं हेतु बाह्य परीक्षकों का पैनल शीघ्र ही महाविद्यालयों के पोर्टल पर उपलब्ध होगे। समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि स्वयंपाठी परीक्षार्थियों का प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर नियमित एवं स्वयंपाठी परीक्षार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा आयोजन की तैयारी प्रारम्भ करें।

07.03.25

परीक्षा नियंत्रक

क्रमांक : परीक्षा 4—अ / परीक्षा—2025 / 3801—3810 दिनांक: 10.3.25

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. समस्त प्राचार्य / केन्द्राधीक्षक / निदेशक, संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय / विभाग / पी.जी स्कूल्स, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि:—
   (I) उपरोक्तानुसार वेबसाईट से निकाले गए प्रवेश पत्रों को मान्य करें।
   (II) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयानुसार नियमित छात्र / छात्राओं की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है, सम्बन्धित प्राचार्य कम उपस्थिति वाले छात्रों की सूची रोल नम्बर सहित संबंधित परीक्षा केन्द्राधीक्षक को भेजें, ताकि ऐसे छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकें। अन्यथा समस्त जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालय की होगी। ऐसे छात्रों की सूची से विश्वविद्यालय को भी अवगत करायें।
2. समस्त प्राचार्य, संघटक / सम्बद्ध महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को सूचित कर लेख है कि महाविद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषयों के डाटा का विश्वविद्यालय के ऑनलाईन डाटा से मिलान करें एवं किसी प्रकार की त्रुटि है तो परीक्षा से पूर्व विश्वविद्यालय रिकार्ड में दुरस्त करावें।
3. वित्त नियत्रंक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निदेशक, इन्फोनेट सेंटर, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को विश्वविद्यालय वेबसाइट पर प्रसारित करवाने की व्यवस्था करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी, राजस्थान विश्वविद्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को समाचार के रूप में दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
6. निदेशक, छात्र सूचना एवं सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
7. उप कुलसचिव, संचालन शाखा / गोपनीय शाखा, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
8. निजी सचिव—कुलपति / कुलसचिव / परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, संचालन शाखा / गोपनीय शाखा / विविध शाखा / छात्र सूचना केन्द्र, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
10. संबंधित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित सूचना महाविद्यालयों के परीक्षा पोर्टल एवं ई—मेल आई.डी. पर भिजवाने का श्रम करें।

सहायक कुलसचिव (परीक्षा—4)